

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या-06/निबंधन-01-130/2025

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :-

विषय :- **M/s. Skoda Auto Volkswagen India Private Limited** के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक **M/s. Skoda Auto Volkswagen India Private Limited** के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेंसी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Classic	1. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Onyx 2. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Signature 3. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Prestige 4. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Monte Carlo 5. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Onyx Sportline	AATN 0125 F01/22.01.2025	Passenger Car-M1	Rs. 13,59,000/-, Rs. 15,98,000/-, Rs. 17,41,000/-, Rs. 17,22,000/-, Rs. 16,01,000/-
2	Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Classic	1. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Onyx 2. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Signature 3. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Prestige 4. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Monte Carlo 5. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Sportline	AATN 0127 F01/23.01.2025	Passenger Car, 5-Seater-M1	Rs. 10,99,000/-, Rs. 12,99,000/-, Rs. 14,88,000/-, Rs. 16,31,000/-, Rs. 16,12,000/-, Rs. 14,91,000/-
3	Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Prestige	1. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Signature 2. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Sportline 3. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Monte Carlo	AASN 0137 F01/22.01.2025	Passenger Car, 5-Seater-M1	Rs. 19,01,000/-, Rs. 17,61,000/-, Rs. 18,82,000/-
4	Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw MT Style	1. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw MT Ambition 2. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw MT Monte Carlo	AASN 0147 F01/16.01.2025	Passenger Car, 5-Seater-M1	Rs. 17,81,000/-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध हो।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित व्यापार कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि, जो विभाग को उपलब्ध कराये गये कीमत के अनुरूप हो एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकीकृत निबंधन की स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
12. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- Authorised Signatory:- M/s. Skoda Auto Volkswagen India Private Limited. E1, MIDC Industrial Area (Phase III), Village: Nigoje Mhalunge, Kharabwadi, Tal. Khed, Chakan, Pune-410501, Maharashtra, (India) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 4560

पटना, दिनांक :- 04/6/2025

प्रतिलिपि :- State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software में प्रविष्टि करने/I.T. Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04-6-25

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्र संख्या-06/निबंधन-01-130/2025 4560

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक :- 04/6/2025

विषय :- **M/s. Skoda Auto Volkswagen India Private Limited** के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक **M/s. Skoda Auto Volkswagen India Private Limited** के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेंसी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कामजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ एकीकृत निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

Sl. No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Classic	1. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Onyx 2. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Signature 3. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Prestige 4. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Monte Carlo 5. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw AT Onyx Sportline	AATN 0125 F01/22.01.2025	Passenger Car-M1	Rs. 13,59,000 /- Rs. 15,98,000 /- Rs. 17,41,000 /- Rs. 17,22,000 /- Rs. 16,01,000 /-
2	Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Classic	1. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Onyx 2. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Signature 3. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Prestige 4. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Monte Carlo 5. Skoda Kushaq 1.0L TSI 85kw MT Sportline	AATN 0127 F01/23.01.2025	Passenger Car, 5-Seater-M1	Rs. 10,99,000 /- Rs. 12,99,000 /- Rs. 14,88,000 /- Rs. 16,31,000 /- Rs. 16,12,000 /- Rs. 14,91,000 /-
3	Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Prestige	1. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Signature 2. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Sportline 3. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw AT Monte Carlo	AASN 0137 F01/22.01.2025	Passenger Car, 5-Seater-M1	Rs. 19,01,000 /- Rs. 17,61,000 /- Rs. 18,82,000 /-
4	Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw MT Style	1. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw MT Ambition 2. Skoda Kushaq 1.5L TSI 110kw MT Monte Carlo	AASN 0147 F01/16.01.2025	Passenger Car, 5-Seater-M1	Rs. 17,81,000 /-

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन कर की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध हो।
7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित व्यापार कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियंट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. वाहन-4.0 के होमोलोगेशन पोर्टल पर मॉडल/वैरियंट/वास्तविक विक्रय राशि, जो विभाग को उपलब्ध कराये गये कीमत के अनुरूप हो एवं अन्य सूचना अंकित कराने का दायित्व कंपनी का होगा। उक्त सूचना पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एकीकृत निबंधन की स्वीकृति की अनुमति रद्द मानी जाएगी।
11. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 41 (6) के परंतुक एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-42 के आलोक में वाहन के विक्रेता द्वारा क्रेता को किसी नये वाहन की सुपुर्दगी बिना HSRP के नहीं की जायेगी।
12. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन
6046-25
विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।